



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062024-254691
CG-DL-E-13062024-254691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 2024/ज्येष्ठ 22, 1946

No. 153]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2024/JYAISHTHA 22, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 जून, 2024

विषय: अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अधीन निविष्टियों के आयात हेतु प्रावधानों को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 06 जून, 2024 की सार्वजनिक सूचना सं. 10/2024-25 हेतु शुद्धिपत्र-के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/13/एम-15/पीसी-2[क]/ई-5910.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा दिनांक 06 जून, 2024 की सार्वजनिक सूचना सं. 10/2024-25 में एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट 2 में किए गए परिवर्तनों में निम्नानुसार संशोधन करते हैं: (किए गए परिवर्तनों को बड़े अक्षरों में दर्शाया गया है)

सार्वजनिक सूचना सं. 10/2024-25 दिनांक 06.06.2024 में यथा मौजूद	संशोधित
वस्त्र मंत्रालय और डीसीपीसी के उत्पादों के लिए ईओ अवधि को एफटीपी, 2023 के पैरा 2.30(क)(i)(छ) के अनुसार विनियमित किया जाता है।	वस्त्र मंत्रालय और डीसीपीसी के उत्पादों के लिए ईओ अवधि को एफटीपी, 2023 के पैरा 2.03(क)(i)(छ) के अनुसार विनियमित किया जाता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: वस्त्र मंत्रालय और डीसीपीसी के उत्पादों के लिए ईओयू अवधि के पैरा संख्या को सार्वजनिक सूचना सं. 10/2024-25 दिनांक 06 जून, 2024 में **2.03(क)(i)(छ)** के रूप में संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th June, 2024

Subject: Corrigendum to Public Notice No.10/ 2024-25 dated 06th June, 2024 on enabling provisions for import of inputs that are subjected to mandatory Quality Control Orders (QCOs) by Advance holders, EOU and SEZ- regarding.

F. No. 01/89/180/13/AM-15/PC-2[A]/E-5910.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following correction in changes been made in Appendix 2Y of FTP, 2023, in Public No.10/2024-25 dated 06th June, 2024: (Changes made are in bold letters)

As existing in Public Notice No. 10/ 2024-25 dated 06.06.2024	Corrected
The EO Period for the products of Ministry of Textiles and DCPC is regulated in terms of Para 2.30(A)(i)(g) of FTP, 2023	The EO Period for the products of Ministry of Textiles and DCPC is regulated in terms of Para 2.03(A)(i)(g) of FTP, 2023

Effect to this Public Notice: The Para number of EO Period for the products of Ministry of Textiles and DCPC stands corrected as 2.03(A)(i)(g) in Public Notice No. 10/2024-25 dated 06th June 2024.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.